FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर मुकाम अलवर

उनवान ग्यारसाराम **बनाम** श्रीमति लक्ष्मीदेवी वगै़

किस्म मुकदमा मुन्तकिल प्रा0पत्र **नम्बर** 15/26/2019 **दायर दिनांक–** 01.07.2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में इस उमर का पेश किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में एक वाद संख्या 1/05/2012 विचाराधीन हैं जिसमें प्रार्थी रैस्पो0 है। विचाराधीन वाद में प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अतः प्रा0पत्र में वर्णित वाद को जिले में स्थित अन्य दीगर न्यायालय में हस्तानांतरण कर दिया जावें। वकील प्रार्थी का प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट सरिस्ता प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट सरिस्ता वकील प्रार्थी ने एक प्रा0पत्र मुन्तकिली विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 07.06.2019 को पेश की गई। जिसको न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.06.2019 को टेक्नीकल आधार पर सीपीसी के आदेश 07 नियम 01 के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज कर दिया था। रिपोर्ट सरिस्ता के आधार पर पूर्व पत्रावली को इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस को जाहिर करते हुए उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। जो कि वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में अंकित किया है। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि प्रा0पत्र मुन्तकिल में 01 लगा. 08 अप्रार्थीगण बनाये गये है। लेकिन 01 लगा. 07 तक तरतीबी अप्रार्थीगण बनाए गये है। इनसे सीधे तौर पर कोई राहत नहीं चाहिए। प्रार्थी को केवल अप्रार्थी संख्या 08 के विरूद्ध ही राहत चाहिए। ऐसी स्थिति में न्यायालय अप्रार्थीगण 01 लगा. 07 की तलवी किया जाना उचित नहीं समझता ळें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी पूर्व पत्रावली में शामिल है। अतः उसे रिकार्ड पर ले लिया जावें। हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2019 को पूर्व प्रस्तुत मुन्तकिल प्रा0पत्र दिनांक 25.06.2019 मैरिट पर सुने बिना ही तकनीकी के आधार पर सीपीसी के प्रावधान आदेश 07 नियम 01 के अनुसार प्रस्तुत नहीं करने पर खारिज की गई थी। वकील प्रार्थी के अनुरोध किये जाने पर पूर्व पत्रावली में शामिल उपखण्ड अधिकारी अलवर की टिप्पणी को रिकॉर्ड	

1-7-19

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

पर लिया जाता है।

पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित कथन के अनुसार प्रार्थी का एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में प्रा0पत्र में उल्लेखित वाद विचाराधीन है। जिसमें वादी एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का रीडर एवं पीठासीन अधिकारी आपस में मिल गये है एवं इसी कारण वाद में छोटी–छोटी तारीख देकर पीठासीन अधिकारी वाद को शीघ्र–अतिशीघ्र वादी के पक्ष में निर्णित करना चाहते है।

वकील प्रार्थी ने आगे अपने कथन में बताया कि दिनांक 28.05.2019 को वाद में प्रतिवादी की ओर से एक प्रा0पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 तथा 151 जाप्ता दिवानी का पेश किया गया था। जिसे पीठासीन अधिकारी ने बिना बहस सुने ही खारिज कर दिया। इस कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के पीठासीन अधिकारी श्री निलाभ सक्सैना व प्रतिवादी के वकील के मध्य दौराने अदालत भी कहां–सुनी हो गई थी और पीठासीन अधिकारी ने उत्तेजित होकर कहां कि कैस का निस्तारण नहीं करूंगा, आप इस पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानांतरित करा लो व नकल लेने से ज्ञात हुआ कि पीठासीन अधिकारी जो दिनांक 05.08.2019 तारीख नियत की गई। उसमें दोनों पक्षों को सुने बिना व प्रतिवादी की साक्ष्य बाद सीधे ही बहस हेतु नियत कर दी गई। इससे प्रतिवादी को पूर्ण अंदेशा जाहिर हो गया कि पीठासीन अधिकारी वादी से मिलकर प्रतिवादी के साथ नाइंसाफी कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकरी ने अपनी टिप्पणी में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में छोटी–छोटी तारीखे निर्धारित की गई है। वकील प्रतिवादी को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशों की पालना करने हेतु इस न्यायालय का सहयोग करना चाहिए था, इसके स्थान पर वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा पीठासीन अधिकारी एवं रीडर पर मनगढ़ंत एवं झूठे आरोप लगाये है। इतना ही नहीं वकील प्रतिवादी ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी व रीडर की शिकायत के रूप में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 340 जा0फौ0 प्रस्तुत किया है।

सुनने बहस वकील प्रार्थी एवं वाद अवलोकन पत्रावली न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उजागर हुआ है कि जहां पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता के मध्य सौहार्द एवं विश्वास का माहौल कायम रहना चाहिए वहां पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों मध्य अविश्वास उत्पन्न हो जाये व दौराने अदालत आपस में अभद्रता हो जायें। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रा0पत्र में विचाराधीन वाद को अन्य न्यायालय में

1-7-19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

हस्तांनान्तरण किया जाना उचित समझता है। अतः विचाराधीन वाद उनवान श्रीमति लक्ष्मीदेवी बनाम ग्यारसाराम संख्या 1/05/12 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां से अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास के न्यायालय में हस्तानांतरण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। निर्णय प्रति हर दो न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

1-7-19

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)